11/7/16 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश
हुई। प्रार्थी का मुकदमा निर्णय हो चुका है अतः
प्रा.पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।
निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप जिलाधिकारी
[illegible] (बबेरू)